



दिनांक 09.02.2018

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

स्वच्छ भारत अभियान

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त श्री केऽल० चौहान की उपस्थिति में आज निगम सभागार में जोन 04 शिवाजी नगर खुर्सीपार केनाल रोड, निर्माण में प्रभावित 96 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आम्रपाली हाऊसिंग बोर्ड में पुरी पारदर्शिता के साथ हितग्राहियों की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवास आबंटित किये गये। उक्त आवास आबंटन में अस्थि बाधित 02 दिव्यांगजनों को नीचे का आवास आबंटित किया गया जिसे लेकर सभागार में उपस्थित समस्त हितग्राहियों ने ताली की गड़गड़ाहट से इस आबंटन का स्वागत करते हुए निगम प्रशासन को इस कार्य के लिए बधाई दी।

निगम प्रशासन ने खुर्सीपार केनाल रोड निर्माण से प्रभावित होने वाले ऐसे हितग्राहियों जो आवास आबंटन हेतु प्रथम किश्त की राशि 5 हजार रुपये निगम कोष में जमा किये गये थे। राशि जमा किये गये समस्त हितग्राहियों को निगम के द्वारा आवास आबंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था वे सभी हितग्राही आज लॉटरी प्रक्रिया में उपस्थित हुए। आज की लॉटरी प्रक्रिया में कुल 102 हितग्राहियों ने राशि जमा की थी जिसमें शिवाजी नगर के अंतर्गत 96, नेहरू नगर जोन अंतर्गत 05, रिसाली जोन अंतर्गत 01 जिसमें से 96 हितग्राहियों को आम्रपाली हाऊसिंग बोर्ड में आवास आबंटित किया गया जिसमें 02 अस्थि बाधित दिव्यांग हितग्राही सुशीला बाई/मंशाराम, सोनमणी/दुधनाथ को नीचे का आवास आबंटित किया गया। शेष 06 हितग्राही को उनकी सहमति अनुसार अन्य स्थान पर आवास आबंटित किया जावेगा। पुरी आवास आबंटन प्रक्रिया उपस्थित प्रभावित हितग्राहियों की उपस्थिति में पुरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी श्री साहू ने इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपस्थित प्रभावित हितग्राहियों को दिये तथा आवास आबंटन हेतु बनाये गये नियम एवं शर्तों को पढ़कर सुनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल राशि 75 हजार रुपये जमा किया जाना है जो हितग्राही 5 हजार रुपये की प्रथम किश्त की राशि जमा कर चुके हैं ऐसे 102 हितग्राहियों को सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था आबंटित आवास के हितग्राही अंशदान की शेष राशि 70 हजार रुपये एकमुश्त जमा न करने की स्थिति में शेष अंशदान की राशि 24 माह के किश्तों में 23 माह तक 3 हजार रुपये मासिक किश्त एवं अंतिम 24 वां किश्त की राशि 1 हजार रुपये जमा करना होगा।

आज की लॉटरी प्रक्रिया में आयुक्त श्री केऽल० चौहान, अधीक्षण अभियंता आर०के० साहू राजस्व अधिकारी एच०के० चन्द्राकर, योजना के नोडल अधिकारी एस०पी० साहू, प्रभारी अधिकारी आवास मूर्ति शर्मा, जनसम्पर्क अधिकारी सुभाष सिंह ठाकुर, जोन 04 आयुक्त संजय शर्मा, योजना के सहायक अभियंता कु० विनिता वर्मा, बसंत साहू, अजय शुक्ला, शरद दुबे, विद्याधर देवांगन, रमेश कुमार वर्मा, रामायण सिंह सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी

